

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु.

(माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम)

(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित)

(संस्था का नाम)

मैं हो चुका हूँ या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैरिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू. जी. सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा ।

मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका - 3 का अध्ययन किया और रैरिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ । मैंने कंडिका 7 और 0.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैरिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता / करती हूँ या बड़यंत्र करता / करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है ।

मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता / लेती हूँ कि -

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा / करूँगी जोकि कंडिका - 3 के नियम के अंतर्गत रैरिंग की श्रेणी में आता हो

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूँगा / बनूँगी जो कंडिका - 3 रैरिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ाया देता हो तो (लोकप्रिय) फैलाता हो ।

मैं सत्य निष्ठा से वचन देता / देती हूँ कि यदि मैं रैरिंग में लिप्त पाया जाता / जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है ।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैरिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या बड़यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ । मैं अच्छी तरह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

घोषणा की दिनांक : दिनांक माह वर्ष ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है और कोई भी

तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

सत्यापन का (स्थान) (दिन) (माह) (वर्ष)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) माह वर्ष

को हस्ताक्षर आत्मि स्वीकृति दी गई ।

शपथ आयुक्त